केंद्रीय सिविल सेवाएं (छुट्टी यात्रा रियायत)
Central Civil Services (Leave Travel Concession)

योजना की महत्वSपूर्ण विशेषताएं/ Salient Feature of the Scheme:

1. यह रियायत उन सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए है जिन्होंrने यात्रा के दिन एक वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो / The concession is admissible to all Govt. Servant who have completed one year of continuous service on the date of journey.
2. यदि इसे नियोक्ताe प्राधिकारी द्वारा माफ न किया गया हो तो अप्राधिकृत अनुपस्थिति की अवधि जैसे हडताल आदि को सेवा-भंग माना जाएगा / A period of unauthorized absence due to participation in strike etc., cause break in service, unless condoned by the appointing authority.
3. यह रियायत नियमित छुट्टी/आकस्मिक छुट्टी/विशेष आकस्मिक छुट्टी के दौरान लिया जा सकता है किन्तु इसे सप्ताहहांत या अन्यc अवकाश के दिनों में नहीं लिया जा सकता / The concession is admissible during regular / Casual / Special Casual Leave, but it cannot be availed during the week-end or during other holidays
4. यह रियायत अध्यायन छुट्टी, प्रसूति छुट्टी, आदि में लिया जा सकता है / Concession can be availed during Study Leave, Maternity Leave etc.
5. इसे सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी के दौरान भी लिया जा सकता है बशर्ते वापसी यात्रा छुट्टी समाप्त होने के पूव ही समाप्तस कर ली जाए/ It can be availed during Leave Prior to Retirement, provided the return journey is completed before the expiry of leave.
6. गृह नगर रियायत / Home Town Concession:
    a. दो कैलेंडर वर्षों के ब्लॉeक वष में एक बार
       It is allowed once in a block of two calendar years.
    b. ब्लॉैक वर्ष 1956-57 से गिना जाता है और वर्तमान ब्लॉeक वर्ष 2018-2019 है
       The block is counted from 1956-57 and the current block is 2018-2019.
    c. ऐसे सरकारी कर्मचारी जिनका परिवार मुख्याtलय से अलग गृह नगर पर रहता है, वे अपने स्व यं के लिए प्रतिवर्ष गृह नगर की रियायत ले सकते है यदि वे अपने परिवार के लिए रियायत को छोड दें

A Govt. Servant whose family living away from his headquarters at home town can avail this concession for himself alone every year, if he forgoes the eligibility for his family.

d. यदि गृह नगर भारत के बाहर हो तो यह रियायत गृहनगर के समीपस्थ, स्थिति रेल्वे स्टेअशन या बंदरगाह तक ही मिलेगी ।

   In case the Home Town is outside India, the assistance will be admissible upto and from Indian Railway Station or Port nearest to his hometown.

7. भारत में किसी भी स्थाSन का भ्रमण करने की रियायत / Concession to visit any place in India:

   a. चार कैलेंडर वर्षों के ब्लाक-वर्ष में एक बार

      Admissible once in a block of four calendar years

   b. पहला ब्लॉnक वर्ष 1974-1977 था और वर्तमान ब्लॉnक वर्ष 2018-2021 है

      The first block was 1974-77 and the current block is 2018-2021

   c. यह रियायत दो वर्षों के ब्लॉaक वर्ष में उपलब्ध दो गृह नगर रियायत में से एक रियायत के लिए है This concession is in lieu of one of the two hometown available during the block of four years.

   d. भारत में किसी भी स्थाsन का तात्प र्य मुख्यa भूमि के आलावा समुद्रपार द्वीप से भी है जैसे अंडमान एवं निकोबार, लक्ष्यनद्वीप, आदि जिनमें गृह नगर भी शामिल है ।

   e. Any place in India cover any place in mainland or overseas i.e. A & N Islands, L & M Islands, etc., including the home town of the Govt. Servant.

8. नव-नियुक्त. कर्मचारियों के लिए रियायत / Concession for fresh recruits:

   a. नव-नियुक्त. केंद्रीय सरकारी कर्मचारी चार वर्ष के ब्लॉnक वर्ष में अपने परिवार के साथ तीन बार गृह नगर और चौथी बार भारत में कहीं भी जा सकते है

      Fresh recruits to Central Govt. are allowed to travel to their home town along with their families on three occasions in a block of four years and to any place in India on fourth occasion.

   b. यह सुविधा नव-नियुक्तc कर्मचारियों के वर्षों में से पहले दो ब्लॉfक वर्षों के लिए ही उपलब्ध है।

      This facility is available to new recruits only for the first two blocks of four years.

   c. वर्तमान ब्लॉiक वर्ष वहीं रहेगा किन्तुe नए कर्मचारियों के लिए सेवा के प्रथम आठ वर्षों में पात्रता अलग रहेगी

The existing blocks will remain the same but the entitlement of he new recruit will be different in first eight year of service

9. परिवार / Family:

   a. इस रियायत में स्व यं एवं परिवार दोनों शामिल है
   The concession will cover self and family.

   b. परिवार में जीवनसाथी तथा दो जीवित अविवाहित बच्चेम या सौतेले बच्चे जो पूरी तरह से सरकारी कर्मचारी पर निर्भर हो, शामिल किए जाते है, चाहे वे सरकारी कर्मचारी के साथ रहते या न रहते हो
   Family means Spouse and two surviving unmarried children or stepchildren wholly dependent on Govt. Servant, whether they reside with him or not.

   c. विवाहित पुत्रियां जिन्हेंG तलाक दिया हो, छोड दिया गया हो या पति से अलग रहती हो तथा वे पूरी तरह से सरकारी कर्मचारी पर निर्भर हो और उन्हीं के साथ रहती हो तो उसे शामिल किया जाता है / Married daughters who have been divorced, abandoned or separated from their husband and widowed daughters and resident and wholly dependant on Govt. Servant.

   d. माता-पिता और सौतेले माता-पिता जो पूरी तरह से सरकारी कर्मचारी पर निर्भर हो और उनके साथ रहते हो

   e. Parents and Stepmother & Stepfather residing with and wholly dependant on Government servant

   f. अविवाहित अवयस्कa भाई तथा अविवाहित, तलाकशुदा, परित्यरक्तो, अपने पति से अलग रहने वाली या विधवा बहनें जो सरकारी कर्मचारी पर निर्भर हो और उसी के साथ रहती हो
   Unmarried minor brothers as well as unmarried, divorced, abandoned, separated from their husband or widowed sister residing with and wholly dependant on Govt. servant

   g. निर्भरता तय करने के लिए, सभी स्रोतो से प्राप्तw आय जो न्यूrनतम परिवार पेंशन तथा उस पर लागू महंगाई राहत से अधिक न हो, को गिना जाएगा
   For deciding the dependency, income from all sources not exceeding the minimum family pension and Dearness Relief thereon.

10. **प्रतिपूर्ति/Reimbursement:**

सरकारी कर्मचारी को रेल /सड/जहाज से गृहनगर एवं भारत में कहीं भी आने-जाने के लिए 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जाएगी ।

Both in respect of 'Home Town' and 'Any place in India ', the Govt. will reimburse 100% of the to and fro fare by rail / road / steamer.

11. यह रियायत न्यूnनतम एवं सीधे मार्ग द्वारा की गई यात्रा तक सीमित की जाएगी

The Government's assistance will be limited to the fare by the shortest direct route and the journey was performed by the shortest route.

12. **अग्रिम / Advance:**

प्रतिपूर्ति की जाने संभावित राशि का 90 प्रतिशत अग्रिम दिया जा सकता है

Advance upto 90% of the probable amount of reimbursement ca be granted.

13. **निम्नo को अनुमत्यu नहींNot admissible to :**

a. ऐसे कर्मचारी जिनके जीवनसाथी रेल्वे या राष्ट्री य एयरलाइन्सe में कार्यरत हो

Government Servant whose spouses are employed in Railways or National Airlines

b. निलंबित कर्मचारी, हालांकि उनके परिवार के सदस्यi रियायत ले सकते है

A Government Servant under suspension; however his family can avail the concession

c. ऐसे सरकारी कर्मचारी जो छुट्टी लेकर जाते है और कार्यभार ग्रहण किए बगैर ही त्या गपत्र दे देते है Govt. servant who proceeds on leave but resigns his post without returning to duty.

14. **अकेला दिव्यां ग कर्मचारी/ Single handicapped employee:**

कुछ शर्तों के अधीन सहयात्रा (एस्काचर्ट) को भी रियायत अनुमत्यy है

LTC admissible also for an escort subject to certain conditions

15. **पति और पत्नि दोनों सरकारी कर्मचारी हो तो/ Both husband and wife are Govt. Servant:**

a. वे अलग-अलग गृह नगर घोषित कर सकते है

They can declare separate home towns independently

b. वे अपने संबंधित परिवारों के लिए छुट्टी यात्रा रियायत ले सकते है

They can claim LTC for their respective families

c. बच्चें माता-पिता में से किसी भी एक के परिवार सदस्यn के रुप में रियायत ले सकते है

The children can claim the concession as members of family of any one of the parent.

16. **एक तरफा यात्रा के लिए रियायत/ Concession for one way journey:**

a. केवल जाने की यात्रा की प्रतिपूर्ति हेतु पात्रता

Entitled to reimbursement in respect of the OUTWARD Journey only:

- आश्रित पुत्र/पुत्रियां गृह नगर जाने के बाद वहां पर नियोजित हो जाएं या शादी कर लें

  The dependent Son/Daughter getting employment or married after going to hometown.

- परिवार के सदस्यa जो यात्रा करने के बाद वापसी यात्रा नहीं करना चाहते । सरकारी कर्मचारी को लिखित में वापसी यात्रा छोडने का वचन देने होगा

  The family after performing journey is not intended to complete the return journey. Govt. servant should give in writing that he foregoes return journey.

b. वापसी यात्रा की प्रतिपूर्ति हेतु पात्रता

Entitled to reimbursement in respect of the INWARD Journey only:

- नव-विवाहित पत्नि या पति जो गृह नगर से मुख्यालय आ रहे हो

  Newly married wife or husband coming from home town to Head Quarters

- सरकारी कर्मचारी पर आश्रित पुत्र/पुत्रियां जो अपने गह नगर में पढाई कर रहे हो और वे अपने माता-पिता के साथ वापस आ रहे हो

  A dependent son/daughter returning with parents, who has been prosecuting studies at hometown or staying with grandparents

- ऐसा बच्चाt जो पांच वर्ष से कम का हो और वापसी यात्रा के दौरान पांच वर्ष का हो जाए

  A child below 5 years of age but has completed 5 years at the time of return journey

- गृह नगर में वैधानिक रुप से गोद लिए गए बच्चे

  A child legally adopted by Govt. Servant at native place.

17. झूठे दावों पर अनुशासनात्मak कार्रवाई : अगर अनुशासनिक प्राधिकारी किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ करने का निर्णय लेती है तो

Disciplinary action for fraudulent claims: If Disciplinary Authority decides to initiate disciplinary proceeding against the Govt. Servant.

a. मामला समाप्तy होने तक ऐसे कर्मचारी छुट्टी यात्रा रियायत नहीं ले सकते
   Such official cannot avail LTC till finalization of Case
b. यदि शास्तीo लगाई जाती है तो उसे अगले वर्षों के ब्लॉॉिक वर्ष हेत सुविधा लेने से वंचित किया जाएगा साथ ही लंबित कार्यवाही के दौरान आने वाले ब्लॉक वर्ष हेतु भी छुट्टी यात्रा रियायत नहीं मिलेगा / In case of any penalty imposed on him, he will not be allowed the next two sets in addition to the sets withheld during the pendency of the proceedings.
c. विशेष मामलों में दो से अधिक सेट भी नामंजूर किए जा सकते है
   More than two sets also can be disallowed in specific cases.
d. यदि कर्मचारी आरापों से पूरी तरह बरी हो जाता है तो उसे रोके गए छुट्टी यात्रा रियायत के अलावा सामान्यर पात्रता के अनुसार देय रियायत भी प्रदान किया जाएगा। उसे ये सारे रियायत सेवानिवृत्ति के पूर्व ले लेना चाहिए
   If official is fully exonerated of the charge, he will be allowed to avail the LTCs withheld earlier in addition to his normal entitlements. He should avail the concession before retirement.